REGD. NO. D. L.-33004/99



असावारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2333]नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2019/आषाढ़ 26, 1941No. 2333]NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2019/ASHADHA 26, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(आयकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2019

का.आ. 2562(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार, जिस पर 18 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली, भारत में हस्ताक्षर किए गए थे, के संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर नई दिल्ली में 26 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसाकि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध में दिया गया है। (इसके बाद इसे संशोधनकारी प्रोटोकॉल कहा गया है);

और जबकि, उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 5 जून 2019 है, जो कि कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अनुसार, कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों के द्वारा यथा-अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना के बाद तीसवां दिन है।

और जबकि, उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ख) में प्रावधान है कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के उपबंध, भारत में, उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें यह प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ है, उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में लागू होंगे;

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू होंगे।

3661 GI/2019

अनुबंध

[PART II—SEC. 3(ii)]

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार का संशोधनकारी प्रोटोकॉल और इसके अलावा 18 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार एवं चीन जनवादी गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार (जिसे इसके बाद "करार" कहा गया है) तथा इसके लिए 18 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल को संशोधित करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

इस करार के शीर्षक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के उन्मूलन तथा कर अपवंचन एवं परिहार को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार।"

अनुच्छेद 2

इस करार की प्रस्तावना को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"भारत गणराज्य की सरकार एवं चीन जनवादी गणराज्य की सरकार,

आगे अपने आर्थिक संबंध और विकसित करने तथा कर मामलों में अपना सहयोग और बढ़ाने के इच्छुक होकर,

गैर-कराधान हेतु अवसर सृजन किए बिना अथवा कर अपवंचन अथवा परिहार के माध्यम से कराधान कम करके (तीसरे राज्यों के निवासियों के अप्रत्यक्ष लाभ हेतु इस करार में प्रदान की गई छूट प्राप्त करने पर केन्द्रित संधि शोपिंग व्यवस्थाओं के माध्यम सहित) आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान को समाप्त करने के आशय से;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:"

अनुच्छेद 3

करार के अनुच्छेद 1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 1

शामिल व्यक्ति

1. यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

2. इस करार के प्रयोजनार्थ, किसी सत्ता या प्रबंधन से अथवा इसके द्वारा प्राप्त की गई आय, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी में स्थित है और जिसे किसी भी संविदाकारी राज्य के कर कानून के अन्तर्गत पूर्ण राजकोषीय पारदर्शी के रूप में माना गया है, को उस सीमा तक संविदाकारी राज्य के निवासी की ही आय होने पर विचार किया जाएगा कि आय को उस राज्य के निवासी की आय के रूप में उस राज्य द्वारा कराधान के प्रयोजनार्थ माना गया है।

3. अनुच्छेद 9 के पैरा 2, अनुच्छेद 18 के पैरा 2 तथा अनुच्छेद 19, 20, 21, 23, 24, 25 तथा 27 के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को छोड़कर यह करार किसी संविदाकारी देश द्वारा उसके निवासियों के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 4

इस करार के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (सम्मिलित कर) के उप-पैरा (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- "(क) चीन में:
 - (i) वैयक्तिक आयकर;
 - (ii) उद्यम आयकर;

(इसके बाद इसे "चीनी कर" कहा जाएगा)।"

अनुच्छेद 5

करार के अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"3. जहां पैरा 1 के उपबंधों के कारणवश, किसी व्यष्टि को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी देशों का निवासी है तो संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक समझौते के द्वारा यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि ऐसे किसी व्यक्ति को इस करार के उद्देश्यार्थ, उसके प्रबंधन के प्रभावी स्थल, स्थान जहां वह निगमित अथवा गठित हुआ है तथा अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, किस देश का निवासी माना जाए। ऐसे करार की अनुपस्थिति में, ऐसे व्यक्ति को उस सीमा तथा पद्धति जिस पर संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हुए को छोड़कर, इस समझौते के द्वारा कर से किसी प्रकार की छूट अथवा राहत प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।"

अनुच्छेद 6

करार के अनुच्छेद 5 (स्थायी संस्थापन) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ स्थायी" संस्थापन "पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (a) प्रबंधन का कोई स्थान;
- (b) कोई शाखा;
- (c) कोई कार्यालय;
- (d) कोई कारखाना;
- (e) कोई कार्यशाला;
- (f) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (g) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भण्डार, जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो;
- (h) कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों;
- प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण अथवा पूर्वेक्षण/दोहन के लिए प्रयुक्त कोई संस्थापन या संरचना, लेकिन तभी जब ऐसा प्रयोग 183 दिन से अधिक अवधि के लिए हो;
- 3. उसी तरह "स्थायी संस्थापन" शब्द में ये सम्मिलित है:
 - (a)कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, अधिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, लेकिन केवल तभी यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 183 दिनों से अधिक समय तक चले।

उपर्युक्त संदर्भ के अनुसार, यह निर्धारित करने की दृष्टि से की क्या 183 दिनों की उपर्युक्त अवधि से अधिक समय हो गया है,

(i) जहां किसी संविदाकारी देश का कोई उद्यम अन्य संविदाकारी देश में ऐसे स्थान जो कोई भवन अथवा निर्मित स्थल, इंस्टालेशन अथवा एसेंबली परियोजना कहलाए, में गतिविधि करता है तथा ऐसी गतिविधियां एक या एक से अधिक समयावधियों के दौराण की जाती हैं जो कुल 183 दिन से अधिक नहीं होती; तथा (ii) भिन्न-भिन्न अवधियों के दौरान उसी भवन अथवा निर्मित स्थल, इंस्टालेशन अथवा एसेंबली परियोजना संबंधित गतिविधियों के प्रथम रूप से उल्लिखित किसी उद्यम से करीबी रूप से जुड़े हुए एक अथवा अधिक उद्यमों के द्वारा, जिनमें से प्रत्येक की अवधि 30 दिनों से अधिक हो

तो उन अलग-अलग अवधियों को उस अवधि में जोड़ दिया जाएगा जिसके दौरान प्रथम रूप से उल्लिखित किसी उद्यम द्वारा उस भवन अथवा निर्मित स्थल, संस्थापन अथवा एसेंबली परियोजना से गतिविधियां की गई थी।

- (a) किसी संविदाकारी देश के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी देश में, कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से अनुच्छेद 12 (तकनीकी सेवाओं हेतु रॉयल्टी तथा शुल्क) में यथा पारिभाषित तकनीकी सेवाओं को छोड़कर, अन्य सेवाएं प्रदान करने के मामले में, परन्तु केवल तब ही जब इस प्रकार की गतिविधि उस संविदाकारी राज्य में सम्बंधित वित्त वर्ष के आरंभ अथवा समाप्ति से बारह माह की अवधि में 183 दिनों से अधिक की अवधि अथवा कुल अवधियों के लिए उस अथवा सम्बंधित परियोजना के लिए जारी रहें।
- 4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा:
 - (a) उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;
 - (b) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;
 - (c) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;
 - (d) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
 - (e) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना।

5. पैरा 1 तथा 2 के उपबंधों के बावजूद, परन्तु पैरा 6 के उपबंधों के अधीन जहां कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी देश की ओर से दूसरे संविदाकारी देश में कार्य करता है तथा ऐसा करते हुए,

- (a) आदतन संविदाएं पूर्ण करता है अथवा आदतन ऐसी भूमिका निभाता है जो किसी उद्यम के द्वारा पर्याप्त संशोधनों के बिना ऐसी संविदाओं को पूर्ण करता हो जो रोजमर्रा की प्रकृति की हैं तथा ये संविदाएं
 - (i) उस उद्यम के नाम से की जाती है, अथवा
 - (ii) स्वामित्व के अंतरण अथवा प्रयोग का अधिकार प्रदान करने, उस उद्यम के मालिकाना हक वाली संपत्ति अथवा वह जिस पर उस उद्यम का प्रयोग करने का अधिकार हो, अथवा
 - (iii) उस उद्यम द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के प्रावधान हेतु; अथवा
- (b) आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो,

उस उद्यम को, ऐसे कार्यकलापों के संबंध में जो वह व्यक्ति उक्त उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना समझा जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित हों, यदि कारोबार के एक निश्चित स्थान से प्रयोग करता है, तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा।

6. (क) पैराग्राफ 5 वहां लागू नहीं होगा जहां कार्यरत कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी देश में अन्य संविदाकारी देश के किसी उद्यम की ओर से प्रथमत: उल्लिखित देश में एक स्वतंत्र अभिकरण (एजेंट) के रूप में व्यवसाय करता है तथा उस व्यवसाय की एक सामान्य गतिविधि के रूप में कामकाज करता है। फिर भी, जहां कोई व्यक्ति विशिष्टत: अथवा लगभग विशिष्टत: एक अथवा अधिक उद्यमों की ओर से जिनसे वह करीबी रूप से जुड़ा है कामकाज करता है तो उस व्यक्ति को किसी ऐसे उद्यम के संबंध में, इस पैरा के अर्थ के भीतर एक स्वतंत्र अभिकरण (एजेंट) नहीं माना जाएगा। (b) इस अनुच्छेद के उद्देश्यार्थ, कोई व्यक्ति किसी उद्यम से करीबी रूप से जुड़ा माना जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर एक का दूसरे पर नियंत्रण हो अथवा दोनों ही किसी एक व्यक्ति अथवा उद्यमों के नियंत्रण में हो। किसी भी सूरत में, किसी व्यक्ति को किसी उद्यम से करीबी रूप से जुड़ा माना जाएगा यदि वह प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: दूसरे में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित रखता है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा जयक्ति का प्रत्यक्षत: दूसरे में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित रखता है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा कम्पनी में लाभकारी इक्विटी हित के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है) अथवा यदि अन्य किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षत: उस व्यक्ति तथा उस उद्यम में 50 प्रतिशत है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा कम्पनी में लाभकारी इक्विटी हित के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वक्ति का प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: उस व्यक्ति तथा उस उद्यम में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित रे के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है) अथवा यदि अन्य किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति तथा उस उद्यम में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा कम्पनी में लाभकारी इक्विटी हित के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है)।

7. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, को उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।"

अनुच्छेद 7

करार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 (कारोबारी लाभ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे।"

अनुच्छेद 8

अनुच्छेद 11 (ब्याज) के पैरा 3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"3. पैरा 2 के उपबंधों के बावजूद, किसी संविदाकारी देश में उत्पन्न ऐसा ब्याज जो दूसरे संविदाकारी देश की सरकार, राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय बैंक अथवा ऐसे किसी वित्तीय संस्थान जिसका पूर्ण स्वामित्व उसकी सरकार के पास हो अथवा जो दूसरे संविदाकारी देश की सरकार, राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय बैंक अथवा ऐसे किसी वित्तीय संस्थान जिसका पूर्ण स्वामित्व उसकी सरकार के पास हो, द्वारा गारंटीकृत अथवा बीमाकृत ऋण पर दिया जाता है, उस पर उस देश में कर से छुट प्राप्त होगी।"

अनुच्छेद 9

1. इस करार के अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (क) (दोहरे कराधान के उन्मूलन के तरीके) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(क) जहां चीन का कोई निवासी भारत से आय प्राप्त करता है, तो भारत में इस करार के उपबंधों के अनुसार उस आय पर लगने वाला कर (केवल उस सीमा तक कि ये उपबंध भारत में कर की मंजूरी इसलिए देते हैं कि वह आय भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त करने वाली आय भी है) उस निवासी पर लगने वाले चीन के कर के समक्ष क्रेडिट कर दिया जाए। तथापि, क्रेडिट की गई राशि चीन के कराधान नियमों तथा विनियमों के अनुसार संगणित आय पर चीन द्वारा लगाए जाने वाले कर की राशि से अधिक नहीं होगी।"

2. इस करार के अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"2. भारत में, दोहरे कराधान को इस प्रकार से समाप्त किया जाएगा:

जहां भारत का कोई आवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार चीन में कर लगे (केवल उस सीमा तक कि ये उपबंध चीन में कर की मंजूरी इसलिए देते हैं कि वह आय चीन के किसी निवासी द्वारा प्राप्त करने वाली आय भी है), तो भारत इस आवासी की आय पर लगने वाले कर पर चीन में दिए गए कर के बराबर की राशि की सीमा तक कटौती की मंजूरी प्रदान करेगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दी जाए अथवा कटौती के रूप में दी जाए। तथापि, ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय उस आय को हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर चीन में कर लगाया जा सकता है।"

अनुच्छेद 10

इस करार के अनुच्छेद 26 (सूचनाओं का आदान-प्रदान) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 26

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए जैसे स्पष्टत: संगत (दस्तावेज सहित) या संविदाकारी राज्यों की या इनके राजनैतिक उपखण्डों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से अधिरोपित प्रत्येक प्रकार और विवरण के करों संबंधी घरेलू कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन जहां तक इसके तहत कराधान इस करार के प्रतिकूल नहीं है, सम्बंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। सूचनाओं का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- (a) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (b) ऐसी सूचनाओं (प्रलेखों सहित) की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (c) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना का अनुरोध किया गया हो, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के प्रावधानों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद 11

इस करार के अनुच्छेद 27 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद को जोड़ा जाएगा:

"अनुच्छेद 27क

लाभों की पात्रता

इस करार के अन्य उपबंधों के बावजूद, इस करार के अंतर्गत आय के किसी मद के संबंध में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मानना समुचित हो कि इस प्रकार का लाभ हासिल करना ही किसी समझौते अथवा संव्यवहार के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ही था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः वह लाभ हुआ है, जब तक कि यह सिद्ध नहीं होता हो कि इन परिस्थितियों में उस लाभ का प्रदान किया जाना इस करार के संगत उपबंधों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के अनुरूप है।"

अनुच्छेद 12

- 1. इस करार के प्रोटोकॉल के पैराग्राफ 3 का लोप कर दिया जाएगा।
- 2. इस करार के प्रोटोकॉल का नया पैरा 3 निम्न रूप से अंतःस्थापित किया जाएगा:

"3. अनुच्छेद 11 के पैरा 3 (ब्याज) के उद्देश्यार्थ:

- (क) चीन के मामले में "केन्द्रीय बैंक 'शब्द का अर्थ पीप्लस बैंक ऑफ चाईना" तथा भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक है।
- (ख) 'दूसरे संविदाकारी देश की सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान' शब्द का अर्थ:
 - (i) चीन के मामले में:
 - (क) चाईना डवल्पमेंट बैंक;
 - (ख) चीन कृषि विकास बैंक;
 - (ग) चीन निर्यात-आयात बैंक;
 - (घ) नेशनल काउंसिल फॉर सोशियल सिक्योरिटी फंड;
 - (ङ) चाईना एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन;
 - (च) चाईना इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन
 - (छ) चीन की सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला कोई अन्य संस्थान जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति हुई हो;
 - (ii) भारत के मामले में:
 - (क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक;
 - (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक;
 - (ग) दी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.;
 - (घ) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.
 - (ङ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक;
 - (च) भारत की सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला कोई अन्य संस्थान जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति हुई हो।"

अनुच्छेद 13

 दोनों संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे कि उन्होंने इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी कर ली है।

 यह प्रोटोकॉल इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख के तीसवें दिन लागू होगा।

- 3. इस प्रोटोकॉल के उपबंध प्रभावी होंगे:
 - (a) चीन में, जिस कैलेन्डर वर्ष में यह प्रोटोकॉल लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में।
 - (b) भारत में, जिस कैलेन्डर वर्ष में यह प्रोटोकॉल लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में।

उसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी, जोकि विधिवत प्राधिकृत हैं, ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं जोकि इस करार का अभिन्न अंग होगा।

7

नई दिल्ली में दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को हिन्दी, चायनीज, और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की	चीन जनवादी गणराज्य
सरकार की ओर से	की सरकार की ओर से
हस्ताक्षरित/-	हस्ताक्षरित/-
(सुशील चंद्रा)	(रेन रोंग्फा)
अध्यक्ष,	उपायुक्त,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	कराधान का राज्य प्रशासन

[अधिसूचना सं. 54/2019/फा.सं. 503/02/2008 -वि.क.प्र.-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(INCOME TAX)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2019

S.O. 2562(E).—Whereas, the Protocol, amending the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income which was signed at New Delhi, India on 18th July, 1994, has been signed at New Delhi on 26th November, 2018, as set out in the annexure appended to this notification (hereinafter referred to as the said amending Protocol);

And whereas, the date of entry into force of the said amending Protocol is the 5th day of June, 2019, being the thirtieth day after the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of the said amending Protocol in accordance with paragraph 2 of Article 13 of the said amending Protocol;

And whereas, sub-paragraph (b) of paragraph 3 of Article 13 of the said amending Protocol provides that the provisions of the said amending Protocol shall have effect in India in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which this Protocol enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said amending Protocol, as annexed hereto, shall have effect in the Union of India.

ANNEXURE

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE **REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR** THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PROTOCOL THERETO SIGNED AT NEW DELHI ON 18TH JULY, 1994

The Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China,

Desiring to amend the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and the Protocol thereto signed at New Delhi on 18th July, 1994 (hereinafter referred to as "the Agreement"),

Have agreed as follows:

Article 1

The title of the Agreement shall be replaced by the following:

"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE".

Article 2

The preamble of the Agreement shall be replaced by the following:

"The Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters,

Intending to eliminate double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for nontaxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Agreement for the indirect benefit of residents of third States);

Have agreed as follows:"

Article 3

Article 1 of the Agreement shall be replaced by the following:

"ARTICLE 1

PERSONS COVERED

1. This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

2. For the purposes of this Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is established in either Contracting State and that is treated as wholly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State only to the extent that the income is treated, for the purposes of taxation by that State, as the income of a resident of that State.

3. This Agreement shall not affect the taxation, by a Contracting State, of its residents except with respect to the benefits granted under paragraph 2 of Article 9, paragraph 2 of Article 18 and Articles 19, 20, 21, 23, 24, 25 and 27."

Article 4

Sub-paragraph (a) of paragraph 3 of Article 2 (Taxes Covered) of the Agreement shall be replaced by the following:

"(a) In China:

- (i) the individual income tax;
- (ii) the enterprise income tax;

(hereinafter referred to as "Chinese tax")."

Article 5

Paragraph 3 of Article 4 (Resident) of the Agreement shall be replaced by the following:

"3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual

agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States."

Article 6

Article 5 (Permanent Establishment) of the Agreement shall be replaced by the following:

"ARTICLE 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
- (i) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources, but only if so used for a period of more than 183 days.
- 3. The term "permanent establishment" likewise encompasses:
 - (a) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than 183 days.

For the sole purpose of determining whether the 183 day period referred to as above has been exceeded,

- (i) where an enterprise of a Contracting State carries on activities in the other Contracting State at a place that constitutes a building site or construction, installation or assembly project and these activities are carried on during one or more periods of time that in the aggregate do not exceed 183 days, and
- (ii) connected activities are carried on at the same building site or construction, installation or assembly project during different periods of time, each exceeding 30 days, by one or more enterprises closely related to the first-mentioned enterprise,

these different periods of time shall be added to the period of time during which the first-mentioned enterprise has carried on activities at that building site or construction, installation or assembly project.

(b) the furnishing of services other than technical services as defined in Article 12(Royalties and Fees for Technical Services), by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel in the other Contracting state, but only if activities of that nature continue for the same or connected project within that Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State and, in doing so,

- (a) habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are
 - (i) in the name of the enterprise, or
 - (ii) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or
 - (iii) for the provision of services by that enterprise; or
- (b) habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

- 6. (a) Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.
 - (b) For the purposes of this Article, a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the beneficial interest or of the beneficial interest in the company's shares or of the aggregate vote and value of the company, more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company's shares or of the beneficial equity interest in the company's shares or of the beneficial equity interest in the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise or in the two enterprises.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other."

Article 7

Paragraph 1 of Article 7 (Business Profits) of the Agreement shall be replaced by the following:

"1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the

enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State, but only so much of them as is attributable to that permanent establishment."

Article 8

Paragraph 3 of Article 11 (Interest) shall be replaced by the following:

"3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government, a political subdivision or a local authority, the Central Bank or any financial institution wholly owned by the Government of the other Contracting State, or paid on loans guaranteed or insured by the Government, a political subdivision or a local authority, the Central Bank or any financial institution wholly owned by the Government of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned State."

Article 9

1. Sub-paragraph (a) of paragraph 1 of Article 23 (Methods for the Elimination of Double Taxation) of the Agreement shall be replaced by the following:

"(a) Where a resident of China derives income from India, the amount of tax on that income payable in India in accordance with the provisions of this Agreement (except to the extent that these provisions allow taxation by India solely because the income is also income derived by a resident of India) may be credited against the Chinese tax imposed on that resident. The amount of the credit, however, shall not exceed the amount of the Chinese tax on that income computed in accordance with the taxation laws and regulations of China."

2. Paragraph 2 of Article 23 of the Agreement shall be replaced by the following:

"2. In India, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of India derives income, which may be taxed in China in accordance with the provisions of this Agreement (except to the extent that these provisions allow taxation by China solely because the income is also income derived by a resident of China), India shall allow as deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income – tax paid in China whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income-tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in China."

Article 10

Article 26 (Exchange of Information) of the Agreement shall be replaced by the following:

"ARTICLE 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

- (b) to supply information (including documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).
- 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

Article 11

The following Article shall be inserted after Article 27 of the Agreement:

"ARTICLE 27A

ENTITLEMENT TO BENEFITS

Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement."

Article 12

- 1. Paragraph 3 of the Protocol to the Agreement shall be deleted.
- 2. A new paragraph 3 of the Protocol to the Agreement shall be inserted as follows:
- " 3. For the purpose of paragraph 3 of Article 11(Interest):
 - (a) the term "Central Bank" means, in the case of China, the People's Bank of China, and in the case of India, the Reserve Bank of India;
 - (b) the term "any financial institution wholly owned by the Government of the other Contracting State" means:
 - (i) in the case of China:
 - (A) the China Development Bank;
 - (B) the Agricultural Development Bank of China;
 - (C) the Export-Import Bank of China;
 - (D) the National Council for Social Security Fund;
 - (E) the China Export & Credit Insurance Corporation;
 - (F) the China Investment Corporation;
 - (G) any other institution wholly owned by the Government of China as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;
 - (ii) in the case of India:
 - (A) the Export-Import Bank of India;
 - (B) the National Housing Bank;
 - (C) the India Infrastructure Finance Company Limited;

- (D) the Export Credit Guarantee Corporation of India Limited;
- (E) the National Bank for Agricultural and Rural Development;
- (F) any other institution wholly owned by the Government of India as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States."

Article 13

1. Both Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channels that they have completed the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Protocol.

2. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The provisions of this Protocol shall have effect:

- (a) In China, in respect of income derived in any taxable year beginning on or after the first day of January following the calendar year in which this Protocol enters into force.
- (b) In India, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which this Protocol enters into force.

In witness thereof, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol which shall be an integral part of the Agreement.

Done in duplicate at New Delhi this 26th day of November, 2018 in the Hindi, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India

For the Government of the People's Republic of China

Sd/-(Sushil Chandra) Chairman, Central Board of Direct Taxes Sd/-(REN Rongfa) Deputy Commissioner, State Administration of Taxation

[Notification No.54/2019/F.No. 503/02/2008-FTD-II] RAJAT BANSAL, Jt. Secy.